



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072025-264520
CG-DL-E-10072025-264520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3011]
No. 3011]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

का.आ. 3078(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना अधिसूचना सं. का. आ. 1426(अ), दिनांकित 5 मई, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
रारा-75	रांची से नगर उंतारी खंड (झारखंड राज्य में)	किमी 00.00 से किमी 259.000

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
रारा-39 (पुराना रारा-75)	रांची-नगर उंतारी-झारखंड/उत्तर प्रदेश सीमा खंड (झारखंड राज्य में)	झारखंड राज्य में समग्र रारा

[फा. सं. एनएच-14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1426(अ), दिनांकित 5 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2025

S.O. 3078(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1426(E), dated the 5th May, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/length in km (3)
NH-75	Ranchi to Nagar Utari Section (In the State of Jharkhand)	Km. 00.00 to Km. 259.000

The following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/length in Km. (3)
NH-39 (Old NH-75)	Ranchi – Nagar Untari –Jharkhand/Uttar Pradesh border Section (In the State of Jharkhand)	Entire NH in the State of Jharkhand

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:-The principal notification was published vide number S.O. 1426(E), dated the 5th May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

का.आ. 3079(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"10	रारा सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) और किमी 2.90 से किमी 88.600 (रांची - गुमला खंड) को छोड़कर], सं. 75 [किमी 0.000 से किमी 259.640 (रांची-नगर उंतारी-झारखंड/उत्तर प्रदेश सीमा खंड) तक को छोड़कर], सं. 78, सं. 98 [किमी 23.284 से किमी 57.049 (औरंगाबाद का हरिहरगंज - शिलडाग खंड - परवा मोड़ खंड) तक को छोड़कर], सं. 99, सं. 100, नई रारा सं. 114ए [किमी 85.081 से किमी 130.240 (बासुकीनाथ - देवघर खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 133 [किमी 41.900 से किमी 93.000 (महागामा - हंसदीहा खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 43, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 143ए, नई रारा सं. 143बी, नई रारा सं. 218, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 133बी, नई रारा सं. 143एजी (खूंटी से तमार खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 320डी, नई रारा सं. 320जी, नई रारा सं. 333, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 419 के उतने भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं।	झारखंड राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2631(अ), दिनांकित 13 जून 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2025

S.O. 3079(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in

force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"10	So much of National Highways No.23 [excluding from km. 0.000 to km. 81.200 (Chas- Ramgarh section) and from km 2.90 to km 88.600 (Ranchi- Gumla Section)], No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 259.640 (Ranchi-Nagar Untari-Jharkhand/Uttar Pradesh border section)] , No.78, No. 98 [Excluding from Km. 23.284 to Km. 57.049 (Hariharganj-Shildag section of Aurangabad – Parwa More section), No.99, No.100, new NH No.114A [excluding from Km. 85.081 to Km. 130.240 (Basukinath- Deoghar section)], new NH No.133 [excluding from Km. 41.900 to km. 93.000 (Mahagama-Hansdiha section)], new NH No. 43, new NH No. 133A, new NH No. 143A, new NH No. 143B, new NH No. 218, new NH No. 220, new NH No. 133B, new NH No. 143AG [excluding from Khunti to Tamar section], new NH No. 320D, new NH No. 320G, new NH No. 333, new NH No. 333A, new NH No. 343 and new NH No. 419 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand.

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2631(E), dated the 13th June, 2025.